

UCMS :- 204/438

3

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर घड़साना  
पीठासीन अधिकारी :- अभिलाषा आर.ए.एस. कैम्प कोर्ट : ग्राम पंचायत...1960...

-: आदेश :-

दिनांक : 27-10-2021

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का...1960... एवं भू-अभिलेख निरीक्षक...1960... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार...घड़साना/नायब तहसीलदार... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम...1860... तहसील...घड़साना... जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत्...2076-79... में खाता सं. ....20... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | खाता सं. | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)   | आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं।)  |
|----------|--------------|----------|--|--|
| 1        | 2            | 3        | 4  | 5  |
| 01       | 1860         | 20       | नियामत बेगम W/O समीर खा मुल्लमा<br>सुष मोहम्मद मुस्तफा<br>S/O समीर खा, जाति<br>मुल्लमा, खा देह<br>खातेदार, रहने:-<br>SBB नं. शाखा नं. 01<br>घड़साना। | नियामत बेगम W/O समीर खा सुष<br>मोहम्मद मुस्तफा<br>S/O समीर खा जाति<br>मुल्लमान सुष देह<br>खातेदार, रहने:-<br>SBB शाखा नं. 01<br>घड़साना। |

प्रशासन गांवों के संग  
अभियान 2021 /

(अभिलाषा)  
उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना

क्रमांक/रीडर/प्र.गां.सं.अ./2021/ 431-33  
प्रतिलिपि:-

दिनांक : 27-10-2021

1. तहसीलदार घड़साना/सक्ला को भेजकर लेख हैं कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी श्री...नियामत बेगम W/O समीर खा... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना  
कैम्प-1960.